



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11062021-227516
CG-DL-E-11062021-227516

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2092]
No. 2092]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 11, 2021/ज्येष्ठ 21, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 11, 2021/JYAISHTHA 21, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जून, 2021

का.आ. 2252(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना अधिसूचना संख्या का.आ. 384(अ) , जो भारत के राजपत्र, तारीख 27.01.2021 असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा पंजाब राज्य के नवांशहर जिले में राष्ट्रीय संख्या - 344ए के कि.मी.5.9 से कि.मी. 27.82 (SH-24) कि.मी. 55.165 से कि.मी. 48 (MDR-56) के भूखण्ड (रोपर-नवांशहर-बंगा-फगवाड़ा खण्ड) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "02/02/2021" को "हिंदुस्तान टाइम्स" और "जगबानी" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

पंजाब राज्य के नवांशहर जिले में राष्ट्रीय संख्या - 344ए के कि.मी. 5.9 से कि.मी. 27.82 (SH-24) कि.मी. 55.165 से कि.मी. 48 (MDR-56) के भूखण्ड (रोपर-नवांशहर-बंगा-फगवाड़ा खण्ड)के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित विवरण।

राज्य का नाम: पंजाब		जिले का नाम: नवांशहर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: बलाचौर				
	गांव का नाम: भार्याला (205)				
1	28	निजी	गेयर मुमकिन अबादी	0.05058	आबादी दे (28)
2	52/3	निजी	गेयर मुमकिन अबादी	0.02276	बनारसी दास पुत्र भगत और अन्य (52/3)
	गांव का नाम: फतेहगढ़ उर्फ सुधा माजरा(199)				
3	135/2	निजी	गैर मुमकिन	0.0708	कश्मीर सिंह पुत्र कर्म सिंह और अन्य (135/2)
4	137	निजी	गैर मुमकिन	0.007587	कर्म सिंह - स्वर्ण सिंह S/o महंगा सिंह एंड ओटर्स (137)
5	139/2	निजी	बारानी	0.0101	गुरदेव कौर डी/ओ शांति डब्ल्यूडी/ओ रब राखा और अन्य (139/2)
	गांव का नाम: जेओवल (427)				
6	79	निजी	गैर मुमकिन	0.02529	पंचायत देही (79)
	गांव का नाम: काठगढ़ (203)				
7	75//14	निजी	गेयर मुमकिन	0.02529	जोगिंदर सिंह पुत्र जटा सिंह और अन्य

			अबादी / दुकान		(75//14)
	गांव का नाम: मेहंदीपुर (401)				
8	47//25	निजी	गैर मुमकिन होटल पार्किंग	0.002529	अमरजीत सिंह पुत्र हरभजन सिंह और अन्य (47//25)
9	49//5	निजी	गैर मुमकिन होटल पार्किंग	0.04046	अमरजीत सिंह पुत्र हरभजन सिंह और अन्य (49//5)
	गांव का नाम: रेल माजरा				
10	164//25/1	निजी	गेयर मुमकिन अबादी	0.01517	परवीन कक्कड़ डब्ल्यू/ओ तिलक राज कक्कड़ (164//25/1)
11	164//25/2	निजी	गैर मुमकिन पेट्रोल पंप	0.0379	कुलविंदर - हरिंदरपाल पुत्र सोहन सिंह (164//25/2)
12	165//21 Min	निजी	गेयर मुमकिन अबादी	0.005058	भगवान दास पुत्र मेहगा राज और अन्य (164//21)
13	166//1/2	निजी	गेयर मुमकिन अबादी	0.0986	भगवान दास पुत्र मेहगा राज और अन्य (166//1/2)
			कुल	0.412124	

[फा. सं. PIU/PD/JAL/2015/344A/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th June, 2021

S.O. 2252(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways vide S.O NO 384 (E) dated 27.01.2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation National Highway No. 344A in the stretch of land from Km. 5.9 to Km 27.82 (SH24) Km 55.165 to Km 48 (MDR-56) (Ropar-Nawanshahr-Banga-Phagwara Section) in the district of Nawanshahr in the State of Punjab, hereby declares its intention to acquire such land;

And whereas the substance of the said notification has been published in Hindustan Times (English) and Jagbani (Punjabi) both dated 02/02/2021 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the Km. 5.9 to Km 27.82 (SH24) Km 55.165 to Km 48 (MDR-56) (Ropar-Nawanshahr-Banga-Phagwara Section) in the district of NAWANSHAHR in the State of PUNJAB

State: PUNJAB		District: NAWANSHAHR			
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
Taluk: Balachaur					
Village: Bharthala (205)					
1	28	Private	Gair Mumkin Abadi	0.05058	Abadi Deh 28
2	52/3	Private	Gair Mumkin Abadi	0.02276	Banarsi Dass S/o Bhagtu and others 52/3
Village: Fatehgarh urf Sudha Majra(199)					
3	135/2	Private	Gair Mumkin	0.0708	Kashmir Singh S/o Karm Singh and others 135/2
4	137	Private	Gair Mumkin	0.007587	Karm Singh - Swarn Singh S/o Mehanga Singh & others 137
5	139/2	Private	Barani	0.0101	Gurdev Kaur D/o Santi Wd/o Rab Rakha & other 139/2
Village: Jeowal (427)					
6	79	Private	Gair Mumkin	0.02529	Panchayat Deh 79
Village: Kathgarh (203)					
7	75//14	Private	Gair Mumkin Abadi / Shop	0.02529	Joginder Singh S/o Jata Singh & others 75//14
Village: Mehndipur (401)					
8	47//25	Private	Gair Mumkin Hotel Parking	0.002529	Amarjit Singh S/o Harbhajan Singh & others 47//25
9	49//5	Private	Gair Mumkin Hotel Parking	0.04046	Amarjit Singh S/o Harbhajan Singh & others 49//5

	Village: Rail Majra				
10	164//25/1	Private	Gair Mumkin Abadi	0.01517	Parveen Kakar W/o Tilk Raj Kaker 164//25/1
11	164//25/2	Private	Gair Mumkin Petrol Pump	0.0379	Kulwinder - Harinderpal S/o Sohan Singh 164//25/2
12	165//21 Min	Private	Gair Mumkin Abadi	0.005058	Bhagwan Dass S/o Mehga Raj and other 164//21
13	166//1/2	Private	Gair Mumkin Abadi	0.0986	Bhagwan Dass S/o Mehga Raj and other 166//1/2
			TOTAL	0.412124	

[F. No. PIU/PD/JAL/2015/344A/3D]

RAJESH GUPTA, Director